न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4164/2001/जालौर

1— वोताराम पुत्र देवा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1. बस्तीराम पुत्र वोताराम
   1/2. विनोदराम पुत्र वोताराम
   1/3. केवलराम पुत्र वोताराम
   1/4. शान्तिदेवी पुत्री वोताराम
2— भीयाराम पुत्र देवा
3— विनोद कुमार पुत्र वोताराम
4— बस्तीराम पुत्र वोताराम
समस्त जाति चोधरी निवासीगण ग्राम रेवहाकलां तहसील आहौर जिला जालौर।

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1— श्रीमति तारादेवी बेवा चुन्नीलाल (नाम तर्क)
2— लीलादेवी पुत्री चुन्नीलाल
3— दामडी पुत्री चुन्नीलाल
4— मन्जू पुत्री चुन्नीलाल
5— छगनदास पुत्र चुन्नीलाल
6— जगदीश पुत्र चुन्नीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1. राहुल पुत्र जगदीश
   6/2. दिव्या पुत्री जगदीश
7— लूम्बादास पुत्र प्रागदास (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1. सुखीदेवी बेवा लूम्बादास
   7/2. प्रकाश पुत्र लूम्बादास
   7/3. मीनादेवी पुत्री लूम्बादास
   7/4. तुईया देवी पुत्री लूम्बादास
8— मांगीलाल पुत्र प्रागदास
9— पुरूषोत्तम पुत्र वरदाराम
10—बसूडी पत्नि वरदाराम
11—हीरदास पुत्र मोडाराम
12—कपूरादास पुत्र मोडाराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
   12/1. दामोदरदास पुत्र कपूरदास
   12/2. अमृतदास पुत्र कपूरदास
   12/3. मोहनीदेवी पुत्री कपूरदास
13—मोतीदास पुत्र मोडाराम
14—देवीलाल पुत्र मोडाराम
15—चम्पालाल पुत्र मोडाराम
16—रूपदास पुत्र पूनमदास (मृतक) जरिये वारिसानः—
   16/1. अम्बादेवी बेवा रूपदास
   16/2. भरतदास पुत्र रूपदास

16/3. कान्ता देवी पुत्री रूपदास
16/4. मधूदेवी देवी पुत्री रूपदास
16/5. ममता देवी पुत्री रूपदास
16/6. किशोरदास पुत्र रूपदास
17—सीताराम पुत्र केसूदाराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
17/1. मदनलाल पुत्र सीताराम
17/2. गीतादेवी पुत्री सीताराम
17/3. शारदादेवी पुत्री सीताराम
18— मदनदास पुत्र जवानदास
19— ओखाराम पुत्र भीखाराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
19/1. श्यामदास पुत्र ओखाराम
19/2. भावेशदास पुत्र ओखाराम
19/3. ऊमियादेवी पुत्री ओखाराम
19/4. इन्द्रादेवी पुत्री ओखाराम
20— मांगीलाल पुत्र पूनमदास
समस्त जाति सन्त निवासी हरजी तहसील आहौर जिला जालौर।
21— माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान गांव रेवडाकलां तहसील आहौर जिला जालौर।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड—पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री ओ.एल. दवे व श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय **दिनांकः—03—12—2025**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही केम्प जालौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20—6—2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— अपील अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक तथा स्थायी निषेधाज्ञा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) जालौर के न्यायालय में प्रतिवादीगण

के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा हरजी तहसील आहौर में स्थित खसरा नम्बर 229 रकबा 83 बीघा 4 बिस्वा, 227 रकबा 1 बिस्वा, 228 रकबा 12 बिस्वा कुल रकबा 83 बीघा 17 बिस्वा में से वादीगण का 2/3 हिस्सा है। उक्त आराजी में से उन्होंने 2/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मूल खातेदारों प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया गया। विवादग्रस्त भूमि बरवक्त बन्दोबस्त वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गयी, बल्कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के नाम बन्दोबस्त से पूर्व अनुसार दर्ज कर दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय करने के बावजूद भी उनका नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस कारण वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए वाद के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादीगण बहैसियत पुजारी विवादित भूमि पर काबिज थे तथा विवादित भूमि माफी मंदिर डोली बनाम श्री गोपाल जी की थी। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में विवादित भूमि को अपीलार्थीगण को विक्रय किया जाना स्वीकार किया, किन्तु यह कथन किया कि 200 वर्ष पूर्व हरजी गांव के जागीरदारान के द्वारा श्री गोपाल जी महाराज के रखरखाव व पूजा इत्यादि के लिए उक्त भूमि दी गयी थी, जिसका पट्टा जागीरदार ने पुजारियों को दे दिया। भूमि मंदिर के खुदकाश्त की थी जिसको विक्रय का अधिकार पुजारियों को नहीं था। साथ ही कथन किया कि पूर्व में राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 15–11–1989 द्वारा उक्त आराजी को मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी की मान ली गई है एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी इसी अनुसार मंदिर मूर्ति के पक्ष में इन्द्राज कर दिया गया है। इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जबाब दावे के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की गई तथा बाद साक्ष्य व सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–01–2001 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण वादीगण ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही केम्प जालौर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–6–2001 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी गई। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 04–11–2020 व अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4— विद्वान अपीलार्थीगण ने अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी के साथ नकल पर्चा खतौनी गांव हरजी पट्टा ठिकाना हरजी परगना जालौर सम्वत 2005—2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2009 लगायत 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। उनका अभिकथन है कि उक्त दस्तावेज अपील के उचित न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जावे। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने उक्त दस्तावेज को पूर्व में प्रस्तुत न किया जाने के कारण अब इस स्टेज पर इसे स्वीकारयोग्य न होना बताते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार परागदास, जेठाराम वल्द बालकदास, मोडाराम पुत्र बस्तीराम वगैरह थे, उनमें से परागदास ने अपना 1/2 हिस्सा चून्नीलाल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया। इन खातेदारान ने अपना 2/3 हिस्सा आगे चलकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादीगण को विक्रय कर दिया। विभिन्न नामान्तकरण संख्या 246, 287, 483 के जरिये यह भूमि अलग—अलग समय में अलग—अलग प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गयी जिनसे अपीलार्थीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद कर ली। बरवक्त बन्दोबस्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण के नाम भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी, जो नहीं की जाने के कारण अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष दिनांक 18—11—1980 को वाद प्रस्तुत किया। मण्डल न्यायालय ने रेफरेन्स संख्या 213/87 सरकार बनाम बालकदास वगैरह का निर्णय दिनांक 15—11—1989 पारित किया गया जिसमें अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मण्डल न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दिनांक 15—11—1989 को स्वीकार किये जाने से विवादित भूमि डोली मंदिर श्री गोपाल जी की मानते हुए निर्णीत किया है, जबकि इस आशय की कोई स्पष्ट तनकी कायम नहीं की गयी। दोनों न्यायालयों ने तनकी नम्बर 7, 8 व 9 का निर्णय एक साथ करते हुए राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार रेस जुडिकेटा का प्रभाव मानते हुए प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय दिया है, जबकि उक्त रेफरेन्स में वादीगण पक्षकार नहीं थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी अपीलार्थीगण की रिट याचिका केवल इसी आधार पर अस्वीकार की है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है जिसमें अपीलार्थीगण के अधिकार तय किये जा सकेंगे। दावे के विचाराधीन

रहते रेफरेन्स जैसी समरी प्रोसिडिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इन तनकियों पर अपना निर्णय देते हुए वादीगण का वाद अस्वीकार किया है, जो विधिविरूिद्ध है। प्रतिवादीगण की ओर से इस तनकी को निर्णीत करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। तनकी संख्या 7 व 8 को प्रतिवादीगण साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं कर सके हैं। विवादित भूमि सम्वत 2047 तक कभी माफी मंदिर की नहीं रही। विवादित भूमि के खातेदार विक्रयकर्त्ता प्रतिवादीगण थे, जिन्होंने अपना 2/3 हिस्सा अपीलार्थीगण को विक्रय कर दिया था तथा इस आशय की तनकी संख्या 1 अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णीत की गयी है। तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत किये जाने के बाद तनकी संख्या 3 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत नहीं की जानी चाहिए। चूंकि तनकी संख्या 1 में वादीगण का कब्जा मान लिया गया है तथा केवल मात्र विवादित भूमि रिसीवर के कब्जे में होने से इस तनकी का निर्णय अपीलार्थीगण के विरूद्ध नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया है कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण ने खरीदी है तथा विक्रय पत्र के जरिये कब्जा भी उनको दिया गया है। विवादित भूमि पर झगडा होने पर रिसीवर नियुक्त हो जाने से इस तनकी को अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी वादीगण का वाद अस्वीकार कर दिया गया। विचारण न्यायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 4 (2) व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 के अनुसार नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 20–6–2001 व 12–1–2001 निरस्त किये जावें।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व से ही डोली की भूमि है। रिकॉर्ड से यह तथ्यपरक स्थिति स्पष्ट है। राजस्व मण्डल द्वारा निर्णीत रेफरेन्स तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भी निर्णय दिनांक 21–3–1985 में रिकॉर्ड का परीक्षण कर पूर्व में भूमि मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि होना स्पष्ट रूप से माना गया है। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा जानबूझ कर अपूर्ण रिकॉर्ड पेश किया गया है। विवादित भूमि कभी भी अपीलार्थीगण के अधिकार में दर्ज नहीं हुई है। मण्डल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–11–1989 में रेफरेन्स प्रकरण में विवादित भूमि को डोली की भूमि मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधानानुसार मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होकर इसकी भूमि पर पुजारियों को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकना प्रतिपादित करते हुये प्रतिवादीगण से संबंधित सभी नामान्तकरणों को निरस्त

कर भूमि मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी के नाम दर्ज करने का निर्णय दिया है। वादीगण ने उक्त रेफरेन्स निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में चेलेन्ज किया तथा एकलपीठ व खण्डपीठ दोनों द्वारा प्रदत्त निर्णय में विवादित भूमि को मंदिर मूर्ति की भूमि को माना गया है। सेटलमेन्ट पर्चा लगान सम्वत 2040 से 2059 में भी विवादित भूमि मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज होकर पुजारियों के नाम लिखे गये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत डोली की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं और न ही इस भूमि का बेचान किया जा सकता है। यदि बेचान किया गया है तो यह अवैध है जिसके आधार पर क्रेता को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने स्पष्ट एवं पूर्ण तनकीवार विवेचन कर निर्णय दिये गये हैं जिनमें विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की होकर इस पर पुजारियों तथा क्रेतागण को खातेदारी अधिकार मिलना विधिविरूद्ध होना माना गया है। दोनों न्यायालयों ने साक्ष्यों व विधि अनुसार अपीलार्थीगण का पक्ष अस्वीकार करने में रेस जुडिकेटा को ही आधार नहीं बनाया है बल्कि अधिकारों के निर्धारण पर स्पष्ट व विधिपरक विश्लेषण भी किया है। अपीलार्थीगण को रेफरेन्स में हुए निर्णय की पूर्ण जानकारी होने पश्चात भी उन्होंने दावे में मंदिर को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए उनकी आपत्ति चलने योग्य नहीं है। मण्डल न्यायालय द्वारा रेफरेन्स निर्णय में राजस्व अभिलेख के पूर्ण व स्पष्ट परीक्षण उपरांत भूमि डोली की मानी जाने से अपीलार्थीगण के पास ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार शेष नहीं रहता जिससे उनके दावे को डिक्री योग्य माना जा सके। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण अभिभाषक द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज विवादित भूमि से ही संबंधित साबिक अभिलेख होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं।

8— अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा दावे में विवादित भूमि में 2/3 हिस्से हेतु खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गई है। दावे में उनका पक्ष भूमि पर पीढ़ियों से कब्जा काश्त होना, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का गत सेटलमेंट के समय मात्र एक वर्ष के लिए वादीगण के साथ भावली करने पर ही उनका गलत रूप से रिकॉर्ड में दर्ज हो जाना, प्रतिवादीगण का विवाद करने पर गांव

के मौतबीरान द्वारा समन्वय पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित करना आदि उल्लेखित किया गया है। लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों व प्रकरण में अग्रेतर अपील में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा उन्हें पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा 2/3 हिस्से की भूमि विक्रय कर देने तथा इनके प्रभाव स्वरूप ही कब्जा काश्त भी उन्हीं का होने को भूमि पर स्वामित्व का आधार बताया गया है। दावे में वरदाराम व चूनीलाल द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र सन् 1980 के तथा लूंबादास, मांगीदास का विक्रय पत्र सन् 1985 का है। इस प्रकार वादीगण के दावे के तथ्य साक्ष्यों एवं अपील से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होकर प्रस्तुत साक्ष्य वादपत्र के तथ्यों अनुरूप नहीं हैं।

9— विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने ही विवाद्यकों को विस्तृत रूप से विवेचित कर विवादित भूमि मंदिर भूमि श्री गोपाल जी की होकर इस पर वादीगण का कोई अधिकार न बनना मानते हुए उनका पक्ष अस्वीकार किया गया है। वादीगण का क्लेम है कि भूमि सम्वत् 2047 से पूर्व कभी मंदिर के नाम दर्ज नहीं रही। इस क्रम में उनके द्वारा हस्तगत अपील में प्रस्तुत दस्तावेज पर्चा खतौनी गांव हरजी सम्वत् 2005—2006 अनुसार भूमि डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी महाराज के खुदकाश्त अधिकार में दर्ज होकर विभिन्न व्यक्तियों के नाम बहैसियत मंदिर पुजारा दर्ज हैं तथा काश्तकार के कॉलम में इन्हीं पुजारों में से परागदास, बालगदास, मोडादास आदि के नाम उल्लेखित हैं। इसके पश्चात हुये सेटलमेंट सम्वत् 2009 लगायत 2028 में रिकॉर्ड की स्थिति को राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा रेफरेन्स नम्बर 43/1987 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 15—11—1989 तथा विगत सेटलमेन्ट सम्वत् 2040 लगायत 2059 के दौरान सहायक भू—प्रबंध अधिकारी द्वारा दिये निर्णय दिनांक 21—3—1985 में परीक्षण उपरांत स्पष्ट रूप से विवेचित करते हुए पूर्ववर्ती सेटलमेंट में भूमि मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज की खुदकाश्त में दर्ज होना बताया गया है। पर्चा लगान सेटलमेंट सम्वत् 2040 लगायत 2059 में डोली बनाम मन्दिर श्री गोपाल जी खातेदार होकर इसके पुजारियों का नाम अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2009 लगायत 2028 व जमाबन्दी सम्वत् 2009 लगायत 2012 दोनों ही दस्तावेजों में कॉलम संख्या 4 की पृविष्ठि को इस रिकॉर्ड में विवादित भूमि से पूर्व की भूमि के अनुसार होना इंगित किया गया है तथा इस अन्य भूमि का रिकॉर्ड उनके द्वारा प्रस्तुत न करने से हम दोनों ही दस्तावेजी साक्ष्यों को अपूर्ण होना मानते हैं। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2009 लगायत 2012 में भी प्रविष्टियां इसी प्रकार दर्ज हैं। लेकिन पर्चा खतौनी सम्वत् 2005—2006 तथा मण्डल न्यायालय व सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी के निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सेटलमेंट तथा

इससे पूर्व भी विवादित भूमि साबिक नम्बर 227, 228 व 229 मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी की खुदकाश्त में दर्ज रिकॉर्ड होकर उल्लेखित अन्य व्यक्ति व अंकित काश्तकार मंदिर के पुजारी ही थे। पूर्ववर्ती बंदोबस्त पश्चात भूमि मंदिर के स्थान पर गलत रूप से पुजारियों की खातेदारी में दर्ज हुई, जिनके द्वारा वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये गये। मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होकर इसकी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के तहत पुजारियों को स्वामित्व नहीं मिल सकता, अतैव भूमि मंदिर मूर्ति के स्थान पर पुजारियों के नाम अधिकार अंकन तथा इसके आधार पर उनका अपीलार्थीगण के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन विधिविरूद्ध व शून्य प्रभावी है। मण्डल न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में राजस्व रिकॉर्ड तथा विधिक प्रावधानों की स्पष्ट विवेचना पश्चात पुजारियों के नाम दर्ज करने को विधिविरूद्ध मानकर विरासत, विक्रय आदि पर स्वीकृत नामान्तकरणों को निरस्त करते हुए इसे पुनः मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भी विधिक प्रावधानों का स्पष्ट विश्लेषण कर भूमि को पुजारियों की बजाय पुनः डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल जी के खातेदारी स्वामित्व में दर्ज करने का निर्णय दिया गया है। अतः अपीलार्थीगण का यह क्लेम खारिज योग्य है कि भूमि पूर्व में कभी मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज नहीं रही तथा वरदाराम, लूंबादास वगैरह इसके विधितः खातेदार होकर उनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान करने से अपीलार्थीगण को कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवाद्यक संख्या 7 से 9 को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाने के विनिश्चय में कोई त्रुटि नहीं है।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रेस जुडिकेटा पर संस्थित तनकी संख्या 9 पर ही अपीलार्थीगण का दावा अस्वीकार न कर इस तनकी को भी अन्य तनकीयात की भांति ही विवेचित कर निर्णीत की गई है। दावे में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जिनसे विवादित भूमि पर विधिवत रूप से अपीलार्थीगण का अधिकार साबित होकर मण्डल न्यायालय के आदेश दिनांक 15–11–1989 से अन्यथा कोई निर्णय लेने की स्थिति हो। उक्त रेफरेन्स निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका व स्पेशल अपील माननीय न्यायालय ने निर्णय क्रमशः दिनांक 25–1–1997 तथा दिनांक 17–12–1997 द्वारा खारिज कर दी गई। उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा सन् 1988 में प्रस्तुत दावा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12–01–2001 को निर्णीत किया गया था, इसलिए अगर अपीलार्थीगण वादीगण को रेफरेंस निर्णय से उजर था अथवा उनके पास भिन्न निश्कर्ष लिया जाने के पुष्ठ आधार व साक्ष्य थे तो वे अपने विचाराधीन नियमित दावे में मंदिर मूर्ति को भी पक्षकार बना कर प्रबलता से अपना पक्ष रख सकते थे। अतः अपीलार्थीगण की मण्डल

न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–11–1989 पर आपत्ति तथा निर्णय का उनके दावे पर कोई प्रभाव न होने का क्लेम स्वीकारयोग्य नहीं है। विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यकों पर साक्ष्यों तथा विधि का स्पष्ट विवेचन कर युक्तियुक्त निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण का विवादित भूमि के 2/3 हिस्से हेतु खातेदारी अधिकार की रिलीफ साबित न होना मानकर दावा/अपील को खारिज किया गया है जिनमें हम द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप की गुंजाईश होना नहीं पाते हैं। अतः हस्तगत अपील सारहीन होकर निरस्तनीय है।

11– विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होकर खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही केम्प जालौर तथा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) जालौर के निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 20–6–2001 तथा दिनांक 12–1–2001 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य